रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 273] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 23, 1984/श्रावण 1, 1906
No. 273] NEW DELHI, MONDAY, JULY 23, 1984/SRAVANA 1, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1984

सा. का. नि. 527 (अ).—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अध्यादेश, 1984 (1984 का 9) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वरूप के अपराध पंजाब राज्य में आतंकवादियों द्वारा ऐसे पैमाने पर और ऐसी रीति से किये जा रहे हैं कि ऐसे आतंकवादियों की गतिविधियों से निपटने के प्रयोजन के लिये उक्त अध्यादेश के उपबंधों का आश्रय लेना समीचीन है, केन्द्रीय सरकार, उक्त अध्यादेश की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अध्यादेश के प्रयोजनों के लिये सम्पूर्ण पंजाब राज्य को आतंकवादी क्षेत्र घोषित करती है और उक्त क्षेत्र को निम्नलिखित न्यायिक जोनों में गठित करती है, अर्थात्:—

(1) न्यायिक जोन, जालंधर —जिसमें जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, अमृतसर और गुरदासपुर राजस्व जिले समाविष्ट हैं ।

(2) न्यायिक जोन, पटियाला —जिसमें पटियाला, रोपड़, लुधियाना और संगरूर राजस्व जिले समाविष्ट हैं ।

(3) न्यायिक जोन, फिरोजपुर —जिसमें फिरोजपुर, भटिंडा और फरीदकोट राजस्व जिले समाविष्ट हैं ।

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि आतंकवादी, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकृति के अपराध इस अधिसूचना के जारी किये जाने की तारीख से पूर्व की किसी तारीख से पूर्वोक्त क्षेत्रों में ऐसे पैमाने पर और ऐसी रीति से कर रहे थे कि यह समीचीन है कि इस अधिसूचना की अवधि ऐसी पूर्वतर तारीख से प्रारंभ की जाये, अतः केन्द्रीय सरकार यह विनिर्दिष्ट करती है कि यह अधिसूचना 23 जनवरी, 1984 से ही प्रारम्भ होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी ।

[सं० 54 (एस)/84-न्या० सेल/1]
प्रेम कुमार, विशेष सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi. the 23rd July, 1984

G.S.R. 527(E):—Whereas the Central Government is of the opinion that offences of the nature specified in the Schedule to the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Ordinance, 1984 (9 of 1984) are being committed in the State of Punjab by terrorists on such scale and in such manner that it is expedient for the purpose of coping with the activities of such terrorists to have recourse to the provisions of the said Ordinance, the Central Government in exercise of the powers conferred on it by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 3 of the said Ordinance hereby declares the whole of the State of Punjab to be a terrorist affected area for the purposes of the said Ordinance and constitutes that area into following judicial zones, namely:—

(1) Judicial Zone, Jalandhar	—Comprising the Revenue Districts of Jalandhar, Hoshiarpur, Kapurthala, Amritsar and Gurdaspur.
(2) Judicial Zone, Patiala	—Comprising the Revenue Districts of Patiala, Ropar, Ludhiana and Sangrur.
(3) Judicial Zone, Ferozepur	—Comprising the Revenue Districts of Ferozepur, Bhatinda and Faridkot.

And whereas the Central Government is further of the opinion that terrorists had been committing from a date earlier than the date of issue of this notification in the aforesaid areas offences of the nature specified in the said schedule on such scale and in such manner that it is expedient to commence the period of this notification from such earlier date; the Central Government hereby specifies that this notification shall commence on and from the 23rd day of January, 1984 and shall continue to be in force for a further period of six months from the date of publication of this notification.

[No. 54(S)/84-Judl. Cell/i]
PREM KUMAR, Special Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984